35

१०० रु. भारत COURT FEE INDIA दस रुपये TEN RUPEES
१०० रु. भारत COURT FEE INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर (कैम्प भोपाल)

प्रकरण क्रमांक : ....
निग -491- II-16

अर्जुन सिंह आत्मज देवबगस, आयु वयस्क
निवासी – ग्राम कालापीपल, तहसील इछावर,
ज़िला सीहोर .... **प्रार्थी**

विरूद्ध

01. **बंशीलाल**, वयस्क
02. राधेश्याम, वयस्क

दोनों पुत्रगण हरनाथ

03. कमल सिंह आत्मज बोधा, वयस्क

समस्त निवासी – ग्राम कालापीपल,
तहसील इछावर, ज़िला सीहोर .... **प्रतिप्रार्थीगण**

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 22.09.2008 जो प्रकरण क्र. 91/निगरानी/06–07 में न्यायालय श्रीमान् आयुक्त महोदय, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित किया गया

महोदय,

प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत है :–

तथ्य

01. यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसीलदार इछावर द्वारा आदेश दिनांक 29.11.2002 के द्वारा ग्राम कालापीपल, तहसील इछावर की शासकीय भूमि का आवंटन किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी ने प्रथम अपील न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, तहसील इछावर, ज़िला सीहोर के समक्ष प्रस्तुत की और निवेदन किया कि जिस भूमि का आवंटन प्रतिप्रार्थीगण को किया गया है। उक्त भूमि पर उसका कब्ज़ा विगत कई वर्षों से है। उक्त भूमि पर जब उसने कब्ज़ा किया था, तब उक्त भूमि बंजर थी। उक्त भूमि को प्रार्थी ने अपनी मेहनत व व्यय से काबिल काश्त बनाया है। उक्त भूमि का आवंटन प्रतिप्रार्थी के पक्ष में किये जाने के पूर्व प्रार्थी की सुनवाई नहीं की गई है। प्रार्थी ने यह भी निवेदन किया कि भूमि खसरा नम्बर 262/1–क–1 के रकबा 4.00 एकड़ भूमि पर वह काबिज है तथा उक्त भूमि पर उसने वृक्ष भी लगाये हैं। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रार्थी की अपील समयावधि के बिन्दु पर निरस्त कर दी।

अर्जुन सिंह

निरंतर........
ब्रज किशोर श्रीवास्तव
18-1-16 **एडवोकेट**
25, हरि निवास "दुर्गा चौक"
तलैया, भोपाल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक. R-491-II/16 .... जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-3-16	मैंने आवेदक पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के ग्राह्यता पर तर्क सुने और नस्ती के अभिलेख का परिशीलन किया। आवेदक के अनुसार वह ग्राम कालापीपल, तह. इछावर की भूमि ख.नं. 262/1-क-1 के 4 एकड़ रकबे पर पूर्व से काबिज था, फिर भी तहसीलदार ने आदेश दि. 29.11.02 से उसे अनावेदकों को पट्टे में बंटित कर दिया। इसके विरुद्ध आवेदक ने SDO सीहोर के समक्ष अपील की, जिसे SDO ने प्र.क्र. 13/अपील/06-07 में आदेश दि. 26.4.07 से समयावधि के बिन्दु पर खारिज कर दिया। SDO के इस आदेश को आयुक्त, भोपाल ने प्र.क्र. 90/निग/06-07 के आक्षेपित आदेश दि. 22-9-08 से यथावत रखा, जिसके विरुद्ध रा.मं. में यह निगरानी हुई। आवेदक का तर्क है कि (1) वह उक्त भूमि पर पहले से काबिज था, (2) 50% से अधिक भूमि SC-ST हेतु आरक्षित नहीं की जा सकती थी और उसे वर्ग-2 बतौर आबंटन की पात्रता थी, (3) अनावेदकों के पास अन्य भूमियां भी थीं, और (4) रा.मं. में आने में उसे विलम्ब इसलिए हुआ क्योंकि SDO के समक्ष की एक अन्य अपील में तहसीलदार को गुणदोष पर निराकरण हेतु मिले निर्देशानुसार उनके द्वारा निराकरण उपरान्त वह रा.मं. में आ पाया। तर्कों और अभिलेखों के प्रकाश में मैं प्रकरण में निम्न बिन्दु प्रमुखता से विचार एवं नोट योग्य पाता हूँ :- (क) SDO के अपीलीय प्र.क्र. 24/अपील/02-03 के आदेश दि. 28-3-05 के पालन में तहसीलदार ने दि. 31-3-15 को गुणदोष पर परीक्षण कर आदेश पारित किया है और पट्टा आबंटन को सही पाया है। हालांकि आवेदक सब जगह पक्षकार था, किन्तु फिर भी उसने 31-3-15 के आदेश के बाद 18-1-16 को	

[कृ. प. उ.

R 491-II/11 श्री ईओ 3-

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	रा. मं. में निगरानी आवेदन, आयुक्त के आदेश दि. 22-9-08 के विरुद्ध लगाया। यदि आवेदक का यह तर्क भी माना जाए कि उसने रा.मं. में आवेदन SDO और तह. के आदेश होने के बाद लगाना ही सही समझा, तो भी 31-3-15 से 18-1-16 के बीच का विलम्ब क्यों हुआ, इसके कारण उसने नहीं बताए हैं, जिसकी वजह से यह निगरानी अवधि बाह्य होने से अग्राह्य किए जाने योग्य है।	
	(ख) आयुक्त का आदेश दि. 22-9-08 स्पष्ट है और बोलते स्वरूप का है। उन्होंने SDO द्वारा विलम्ब माफ नहीं किए जाने को सही पाया है और अपने निष्कर्ष का आधार आवेदक द्वारा विलम्ब के ठोस कारण नहीं बताया जाना लिखा है। इस सबके प्रकाश में मैं आयुक्त के आदेश को सही पाता हूँ।	
	(ग) आवेदक का पहले से यदि वादभूमि पर कब्जा था भी, तो भी वह अतिक्रामक ही था, और अतिक्रमण के आधार पर अधिकारों की वाञ्छा उपयुक्त नहीं है।	
	(घ) तह. के आदेश दि. 31-3-15 में गुणदोष का परीक्षण किया है और यह भी लिखा है कि अनावेदकों के पास उन्हें अपात्र बनाने के लिए आवश्यक अन्य भूमियाँ नहीं थीं।	
	(ङ.) न्यूनतम 50% भूमि यदि SC-ST के लिए आरक्षित किए जाने का प्रावधान है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उससे अधिक भूमि उन्हें आवंटित नहीं की जा सकती, भले ही वह आरक्षित की गई हो या नहीं।	
	उपरोक्त बिन्दुओं और विवेचना के प्रकाश में एवं आधार पर मैं यह निगरानी ग्राह्य किए जाने योग्य नहीं पाता हूँ।	
	अतः आवेदन अग्राह्य करते हुए प्रकरण समाप्त करता हूँ।	
	आदेश पारित। पक्षकार सूचित हों। दा.द. हो।	
	(हस्ताक्षर) 2.3.16 (सदस्य)	